PWD UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०,गौचर (चमोली)

Phone/Fax No. :-01363-240614 **Email:-eetdgauc.pwduk@gov.in**

पत्रांक– 2060/1सी0 वन गौचर दिनांक 30/10/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– **जनपद चमोली में राज्य योजना के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (Online No. FP/UK/ROAD/38601/2019)**

संदर्भः– **आपका पत्रांक संख्या 1674/121 दिनांक 29.09.2021 एवं ई0डी0एस0 दिनांक 10.09.2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/58/2021/एफ0सी0/665 दिनांक 03.09.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्व में दिनांक 29.7.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण का प्रस्तुत उत्तर मान्य योग्य नहीं है। जिसके क्रम में पुनः दिनांक 8.10.2021 को मोटर मार्ग का वृक्ष विहीन क्षेत्र हेतु वैकल्पिक संरेखण संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें वैकल्पिक संरेखण के चयन हेतु सहायक अभियन्ता द्वारा व्यक्तिगत प्रयास कर पुनः नये स्थल देखे गये परन्तु तकनीकी रूप से (स्लाइडिंग जोन) सही न होने तथा ग्रामीणों द्वारा कड़ी आपत्ति के कारण नया वैकल्पिक संरेखण चयनित नहीं किया जा सका।

अतः महोदय से अनुरोध है कि मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु पूर्व में चयनित संरेखण जो सर्वथा उपयुक्त है एवं दिनांक 29.07.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में उल्लेखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु अपने स्तर से संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्नः– संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)
30.10.21

पत्रांक– 1सी0वन /~~26एम0जी0~~ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता प्रथम निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को उनके पत्र संख्या 378/1सी0 दिनांक 29.10.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

संयुक्त निरीक्षण आख्या

सन्दर्भ। - प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 1674/12। दिनांक 29/09/2021।

आज दिनांक 08/10/2021 को नि० ख० लो० नि० वि० गौचर की तरफ से डॉ० अमित कुमार पटेल, सहायक अभियन्ता एवं वन विभाग की तरफ से श्री पंकज ध्यानी, वन क्षेत्राधिकारी धनपुर रेंज अपने विभागीय कर्मचारियों के साथ "मा० मु० घो० सं०- 1471/2015 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धनाई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु" वैकल्पिक संरेखण के चयन के लिए पुनः उपस्थित हुए।

वैकल्पिक संरेखण के चयन हेतु पुनः नये स्थल देखे गए परन्तु तकनीकी रूप से (स्लाइडिंग जोन) सही न होने तथा ग्रामीणों द्वारा कड़ी आपत्ति के कारण नया वैकल्पिक संरेखण चयनित नहीं किया जा सका।

दिनांक 29/07/2021 को भी वैकल्पिक मार्ग के चयन का प्रयास किया गया था परन्तु सही स्थल न मिल पाने व विवाद के कारण मार्ग का चयन सम्भव नहीं हो सका तथा यह पाया गया कि पूर्व में चयनित संरेखण ही सर्वथा उपयुक्त है (प्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/38601/2019 के नव-निर्माण हेतु पूर्व में ही चयनित संरेखण की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया जाता है।

(हस्ताक्षर) 08/10/21
(डॉ० अमित कुमार पटेल)
सहायक अभियंता
नि० ख० लो० नि० वि०
गौचर

(हस्ताक्षर) 8/10/2021
(श्री पंकज ध्यानी)
वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर रेंज

संयुक्त निरीक्षण आख्या

सं०- प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक- 417/12-1 दिनांकित 23-7-2021

आज दिनांक 29/07/2021 को नि०ख० लो०नि०वि० गौचर की तरफ से डॉ० अमित कुमार पटेल, सहायक अभियंता एवं डॉ० प्रतीक अग्रवाल, अपर सहायक अभियंता एवं वन विभाग की तरफ से श्री पंकज ध्यानी, वन क्षेत्राधिकारी धनपुर रेंज तथा राजस्व विभाग की तरफ से श्री हरीश चन्द्र पोखरियाल, राजस्व उप निरीक्षक- बैनोली "मा० मु० घो० सं०- 1471/2015 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धारई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु" संयुक्त निरीक्षण हेतु उपस्थित हुए। संयुक्त निरीक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है-

1. प्रस्तावित ग्राम गूगल मैप (Google Map) में पूर्व से ही निर्मित 'कर्णप्रयाग-नौटी- पैठाणी मोटर मार्ग' से जुड़ा हुआ है ऐसा प्रदर्शित होता है परन्तु कर्णप्रयाग- नौटी- पैठाणी मो० मार्ग का उद्देश्य मुख्यतः पैठाणी (जिला- पौड़ी) को जोड़ने का है जो कि किमी० 27 में आंशिक परिवार को सुविधा पहुंचाता है तथा ग्राम धारई जिसकी जनसंख्या लगभग 200 है मुख्यतः पूर्व में निर्मित मोटर से काफी ऊँचाई पर स्थित है जिस कारण मोटर मार्ग के निर्माण की आवश्यकता है जिससे ग्रामीणों को मूल- भूत सुविधा का लाभ मिल सके।

2. प्रस्तावित मोटर मार्ग वन पंचायत भूमि से होकर जा रही है न कि आरक्षित वन भूमि से। आरक्षित वन भूमि की दूरी सम्बन्धित मोटर मार्ग से लगभग 1.50 किमी० है।

3. वृक्षों के पातन में न्यूनता लाने हेतु वैकल्पिक मार्ग का प्रयास किया गया परन्तु दूसरी ग्राम सभा द्वारा विवाद तथा मार्ग पर स्लाइडिंग जोन व ग्रामीणों के आपत्ति के कारण सम्भव नहीं हो सका। प्रस्ताव में चयनित संरेखण ही सर्वोत्तम है जिसमें सभी की सहमति भी है तथा तकनीकी दृष्टि से भी स्लाइडिंग जोन इत्यादि नहीं है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/38601/2019 के नवनिर्माण हेतु स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

ह० 29/7/21	ह० 29/07/21	ह० 29/07/21	ह० 29/07/2021
(डॉ० प्रतीक अग्रवाल)	(डॉ० अमित कुमार पटेल)	(श्री हरीश चन्द्र पोखरियाल)	(श्री पंकज ध्यानी)
अपर सहायक अभियंता	सहायक अभियंता	राजस्व उपनिरीक्षक	वन क्षेत्राधिकारी
नि०ख० लो०नि०वि०	नि०ख० लो०नि०वि०	बैनोली	धनपुर रेंज
गौचर	गौचर		